छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 246 /2007

अपीलार्थीगण : श्रीमती रानू घोष एवं अन्य

(प्रतिवादी)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी राय बहादुर भूतनाथ डे चैरिटेबल ट्रस्ट

वादी :

तथा

द्वितीय अपील क्रमांक 103 /2008

अपीलार्थीगण : श्रीमती रानू घोष एवं अन्य

(प्रतिवादीगण)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी : राय बहादुर भूतनाथ डे चैरिटेबल ट्रस्ट

वादी

उपस्थित :

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा।

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ए.के. गुप्ता।

निर्णय

(02 अगस्त, 2011 को प्रदत्त)

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

1.इस समान निर्णय द्वारा उपरोक्त दोनों द्वितीय अपीलों का निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि दोनों अपीलें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित समान निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न हुई हैं, जो स्वयं व्यवहार वाद क्रमांक 53-अ/2002 तथा 54-अ /2002 में पारित समान निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न हुई थीं।

2.द्वितीय अपील क्रमांक 246/2007, व्यवहार वाद क्रमांक 53-अ /2002 तथा व्यवहार अपील क्रमांक 3-अ/07 से उत्पन्न हुई है, जबकि द्वितीय अपील क्रमांक 103/2008, व्यवहार वाद क्रमांक 54-अ /2002 तथा व्यवहार अपील क्रमांक 4-अ/07 में पारित निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न हुई है। दोनों वाद वादी/प्रत्यर्थी, अर्थात् राय बहादुर भूतनाथ डे चैरिटेबल ट्रस्ट (जिसे आगे "ट्रस्ट कहा गया है) द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। व्यवहार वाद क्रमांक 53-अ/2002 में वादी/भू-स्वामी द्वारा प्रार्थना की गई वादी द्वारा छतीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "1961 का अधिनियम") की धारा 12(1)(च) के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बकाया किराया एवं बेदखली की डिक्री की प्रार्थना की गई थी, जबकि व्यवहार वाद क्रमांक 54-अ/2002 में 1961 के अधिनियम की धारा 12(1)(अ) के अंतर्गत बकाया किराया एवं बेदखली की डिक्री की मांग की गई थी। द्वितीय वाद अर्थात् व्यवहार वाद क्रमांक 54-अ/2002 उस समय प्रस्तुत किया गया, जब प्रथम वाद में 1961 के अधिनियम की धारा 13(6) के अंतर्गत वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, किंतु उच्च न्यायालय ने सिविल पुनरीक्षण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

क्रमांक 2011/1998 में यह अभिमत व्यक्त किया कि चूंकि उक्त वाद 1961 के अधिनियम **की** धारा 12(1)(अ) के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए धारा 13(6) के अंतर्गत बचाव को समाप्त करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। फलस्वरूप, बाद में 1961 के अधिनियम की धारा 12(1)(अ) के अंतर्गत द्वितीय वाद प्रस्तुत किया गया। व्यवहार वाद क्रमांक 54-अ/2002 में दिनांक 22-07-2002 को पारित आदेश द्वारा दोनों व्यवहार वाद को संयुक्त रूप से विचारण किए जाने का निर्देश दिया गया और इस प्रकार, दोनों वादों का निराकरण विचारण न्यायालय द्वारा तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित एक ही समान निर्णय के माध्यम से किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.वादी/भू-स्वामी ने अपने वाद में अन्य बातों के साथ यह अभिवचन किया कि श्रीमती एवा बोस, जो वादग्रस्त मकान "डे भवन" की स्वामिनी एवं भू-स्वामी थीं, जिसका नगर निगम क्रमांक 33/218 है तथा जिसमें दुकान क्रमांक 218/2 एवं 218/3 सम्मिलित हैं, ने उक्त संपत्ति को लोक कल्याण के उद्देश्य से दिनांक 20 जुलाई, 1994 को पंजीकृत ट्रस्ट विलेख के माध्यम से वादी ट्रस्ट को दान कर दिया। प्रतिवादी, दुकान क्रमांक 218/3 में श्रीमती एवा बोस के अधीन प्रतिमाह ₹500/- किराये पर संयुक्त किरायेदार के रूप में काबिज थे। स्वामित्व में हुए परिवर्तन की सूचना दानदाता द्वारा तथा वादी/दानग्रहीता द्वारा दिनांक 26-03-1996 के पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रतिवादियों को दी गई, जिसके फलस्वरूप प्रतिवादी वादी के किरायेदार बन गए।

4.यह कथन किया गया कि प्रत्यर्थी एक पंजीकृत धमार्थ न्यास है, जिसका पंजीयन क्रमांक 222 है तथा जिसकी पंजीयन तिथि 21-11-1995 है। यह ट्रस्ट "डे भवन", बूढ़ापारा, रायपुर में "भूतनाथ डे चैरिटेबल सोसायटी" (संक्षेप में "सोसायटी) नामक संस्था का गठन कर एक सार्वजनिक विद्यालय का संचालन कर रहा है। प्रत्यर्थी के अनुसार, नगर निगम द्वारा स्वीकृत एवं अनुमोदित नक्शे के अंतर्गत विद्यालय भवन के विस्तार हेतु कुछ निर्माण कार्य किया गया था, किंतु वादग्रस्त दुकान तथा अन्य दुकानों की वास्तविक आवश्यकता होने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, क्योंकि शैक्षणिक गतिविधियों के विस्तार एवं उन्नति हेतु उक्त दुकानों की आवश्यकता है। यह भी कहा गया कि चूँकि प्रत्यर्थी एक पंजीकृत लोक न्यास है, अतः वाद 1961 के अधिनियम की धारा 20 सहपठित संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (संक्षेप में "स.अ. अधिनियम") की धारा 106 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है तथा दिनांक 01-06-1996 का परित्याग नोटिस देकर पट्टा समाप्त कर दिया गया था, जो माह के अंत अर्थात् 30 जून, 1996 से प्रभावी किया गया। इसके बावजूद, परित्याग नोटिस की तामील के बाद भी प्रत्यार्थियों द्वारा रिक्त कब्जा नहीं सौंपा गया, फलस्वरूप उनका कब्जा अतिचारी का हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. वादी द्वारा दिनांक 01-07-1996 से 20/- रुपए प्रतिदिन की दर से हर्जाना तथा अप्रैल 1996 से जून 1996 तक के ₹1,500/- के बकाया किराये की डिक्री की भी मांग की गई।

6.वादपत्र में संशोधन कर वादी ने यह भी अभिकथन किया कि अप्रैल 1996 से निरंतर किराया अदा करने तथा वाद की लंबित अवधि के दौरान भी किराया न चुकाने के कारण प्रतिवादी 1961 के अधिनियम की धारा 20(ख) के अंतर्गत भी बेदखली के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने उन शर्तों का उल्लंघन किया है, जिनके अधीन उन्हें वादग्रस्त परिसर पर कब्जा करने का अधिकार प्रदान किया गया था।

7.अपने संयुक्त लिखित कथन में प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 3 ने यह अभिकथन किया कि वे श्रीमती एवा बोस के किरायेदार हैं, और उन्हें 500/- प्रतिमाह किराया देना हैं, तथापि प्रतिवादियों ने इस तथ्य से इंकार किया कि श्रीमती एवा बोस ने वादग्रस्त दुकान वादी को दान में दी है तथा यह भी कहा कि ट्रस्ट का गठन प्रतिवादियों को बेदखल कराने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि उन्हें कभी दान अथवा संपत्ति के स्वामित्व परिवर्तन की कोई सूचना दी गई थी। वादी द्वारा प्रतिवादियों के प्रत्यावर्तन का जो कथन किया गया था, उसे भी अस्वीकार किया गया तथा यह कहा गया कि वे अब भी श्रीमती एवा बोस के ही किरायेदार हैं। प्रतिवादियों ने इस बात से भी इंकार किया कि प्रत्यर्थी कोई विद्यालय चला रहा है अथवा उसने किसी सोसायटी का गठन किया है। प्रत्यर्थी के अनुसार, श्रीमती एवा बोस ने प्रत्यर्थी को बेदखल कराने के उद्देश्य से यह वाद रचा है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आवश्यकता के आधार को भी प्रत्यर्थी ने अस्वीकार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8.विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि वादी ने वादग्रस्त परिसर की अपनी वास्तविक आवश्यकता सिद्ध कर दी है तथा पक्षकारों के मध्य मकान-मालिक एवं किरायेदार का संबंध विद्यमान है। विचारण न्यायालय द्वारा यह भी धारित किया गया कि प्रत्यर्थी ट्रस्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसे विद्यालय भवन के विस्तार हेतु उक्त परिसर की आवश्यकता है तथा उसकी उक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसके पास कोई अन्य युक्तियुक्त एवं उपयुक्त वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं है। ये निष्कर्ष व्यवहार वाद क्रमांक 53-अ/2002 में दर्ज किए गए।

9. व्यवहार वाद क्रमांक 54-अ/2002 में विचारण न्यायालय ने यह धारित किया कि जून 1996 से आगे के बकाया किराये की वसूली हेतु वाद विचारणीय है तथा यह तथ्य सिद्ध हो चुका है कि वादी ने श्रीमती एवा बोस से उक्त संपत्ति दान/उपहार के रूप में प्राप्त की है। यह भी पाया गया कि बकाया किराये की सूचना तथा परित्याग नोटिस प्रतिवादियों को विधिवत् तामील कराई गई थी।

10.विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों तथा पारित निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कर दी गई।

11.अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त दुकान पूर्व में भारत सेवाश्रम संघ, कोलकाता को अंतरित कर दी गई थी, अतः उक्त संघ ही संपत्ति का स्वामी है और वर्तमान वाद पोषणीय नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी व्युत्पन्न स्वत्व को चुनौती दे सकता है तथा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कोई लोक न्यास 1961 के अधिनियम की धारा 12 अथवा 20 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता।

12.अपीलार्थियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत लिखित कथन में संशोधन हेतु एक आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन (आई.ए. क्रमांक 3) में यह उल्लेख किया गया है कि लिखित कथन दिनांक 20-2-1997 को प्रस्तुत किया गया था तथा प्रत्याहार विलेख की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श.-डी/3) अगस्त, 2000 में प्राप्त हुई थी, किंतु उस समय तक प्रकरण साक्ष्य के लिए नियत हो चुका था तथा श्रीमती एवा बोस का कथन भी अभिलिखित हो चुका था, अतः प्रस्तावित कथन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अपीलार्थी लिखित कथन में पैरा-2(क) के रूप में संशोधन सम्मिलित करना चाहते हैं, जिसके अनुसार वादग्रस्त दुकान दिनांक 13-03-1989 के ट्रस्ट विलेख के माध्यम से भारत सेवाश्रम संघ को अंतरित कर दी गई थी, फलस्वरूप श्रीमती एवा बोस के समस्त अधिकार, स्वत्व एवं हित उक्त भारत सेवाश्रम संघ में निहित हो गए थे और इस प्रकार वर्तमान वादी किसी भी प्रकार का बेदखली वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। यह भी अभिकथन किया गया है कि दिनांक 04-05-1990 का प्रत्याहार विलेख विधिवत् रूप से निष्पादित नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें भारत सेवाश्रम संघ की सहमति संलग्न नहीं है तथा एकपक्षीय निरस्तीकरण विधिसम्मत नहीं है। अतः भारत सेवाश्रम संघ ही अपीलार्थियों/प्रतिवादियों का भू-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्वामी है। अपीलार्थियों ने यह भी प्रस्तावित किया है कि 1961 के अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं है।

13.यह निर्विवाद है कि लिखित कथन फरवरी, 1997 में प्रस्तुत किया गया था तथा प्रत्याहार विलेख की प्रमाणित प्रति अपीलार्थियों द्वारा अगस्त, 2000 में प्राप्त कर ली गई थी, जबकि उस समय वाद अभी भी विचारण न्यायालय में लंबित था और उसका निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26-12-2006 को किया गया। अतः यह अपीलार्थियों का दायित्व था कि वे यह स्पष्ट करें कि अगस्त, 2000 के पश्चात् तत्काल लिखित कथन में उपयुक्त संशोधन करने से उन्हें किस कारणवश रोका गया। उनके स्वयं के कथन के अनुसार, अपीलार्थियों ने यह आपत्ति विचारण न्यायालयो में भी उठाई थी, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वे उक्त प्रत्याहार विलेख के प्रति अनभिज्ञ अथवा असचेत थे। सामान्यतः, पक्षकारों को अपीलीय अथवा द्वितीय अपीलीय स्तर पर कथनों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती, जब तक कि प्रस्तावित कथन किसी पश्चातवर्ती घटना पर आधारित न हो अथवा वाद के न्यायसंगत निर्णय के लिए अनिवार्य न हो। चूँकि प्रस्तावित कथन अपीलार्थियों के पूर्ण ज्ञान में थे, इस न्यायालय को द्वितीय अपीलीय स्तर पर लिखित कथन में संशोधन की अनुमति देने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। परिणामस्वरूप, दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत प्रस्तुत आई.ए. क्रमांक 3 को निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14.अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत तर्क का प्रथम पहलू अपीलार्थियों/किरायेदारों के उस अधिकार से संबंधित है, जिसके अंतर्गत वे वादी के संपत्ति-स्वामित्व को चुनौती देने तथा उक्त आधार पर वाद को अपोषणीय घोषित करने की मांग करते हैं। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि किरायेदार को भू-स्वामी के व्युत्पन्न स्वत्व को चुनौती देने का अधिकार है तथा प्रत्याहार विलेख प्रदर्श-डी/3) के मद्देनजर में वादी वादग्रस्त दुकान का स्वामी नहीं है।

15.**सुभाष चंद्र बनाम मोहम्मद शरीफ एवं अन्य**[1] के प्रकरण में यह विधि-सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि भू-स्वामी के व्युत्पन्न स्वत्व को चुनौती दी जा सकती है। इस विधिक सिद्धांत को लेकर कोई विवाद नहीं है कि किरायेदार को भू-स्वामी के व्युत्पन्न स्वत्व को चुनौती देने का अधिकार है, तथापि साथ ही यह भी आवश्यक है कि भू-स्वामी के व्युत्पन्न स्वत्व को चुनौती देने की आड़ में बेदखली के वाद को स्वत्व के वाद में परिवर्तित न कर दिया जाए, अर्थात् किरायेदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में स्वत्व स्थापित कर उसे भू-स्वामी और किसी तीसरे व्यक्ति के मध्य स्वत्व विवाद का रूप न दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. भू-स्वामी और किरायेदार के बीच एक मामले में, जिसमें भू-स्वामी एवं किरायेदार के मध्य बेदखली वाद की लंबित अवधि के दौरान भूस्वामी की मृत्यु हो गई और उसके द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर उसके विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लाया गया, किरायेदार ने उक्त वसीयत को आक्षेपित किया। उच्च न्यायालय ने यह

1 (1990) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 252

कहते हुए वाद को खारिज कर दिया कि अपीलार्थी के विधिक उत्तराधिकारियों को वसीयत सिद्ध करने हेतु और अधिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए था। उक्त संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दशरथ राव काटे बनाम बृज मोहन श्रीवास्तव[2] के प्रकरण में, जोकि 1961 के वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत ही था, निर्णय की कण्डिका में निम्नलिखित प्रतिपादित किया है:-

> "30. यह सब इस तथ्य से अतिरिक्त है कि इस प्रकरण में किरायेदार को वसीयत को चुनौती देने का कोई अधिकार ही नहीं था। वह एक पूर्णतः बाहरी व्यक्ति था और स्वामी के रूप में संपत्ति में उसका कोई हित नहीं था। वास्तव में, अभिकथनों एवं साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-किरायेदार ने अपीलकर्ता-वादी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी हित का दावा करने का प्रयास तक नहीं किया।"

17. वर्तमान प्रकरण में भी, अपीलकर्ता/किरायेदार वादग्रस्त दुकान पर वादी के स्वामित्व को इस आधार पर चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं कि निरस्तीकरण विलेख की वैधता पर प्रश्न उठाया जा रहा है, यह कहते हुए कि उक्त विलेख निरस्तीकरण एकपक्षीय होने के कारण, उसे विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से निष्पादित नहीं किया गया है; अतः पूर्व दानग्राही, अर्थात् भारत सेवाश्रम संघ, निरंतर स्वामी तथा भू-स्वामी बना हुआ है और परिणामस्वरूप वर्तमान वादी के पक्ष में निष्पादित द्वितीय न्यास विलेख

2 (2010) 1 SCC 277

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विधि की दृष्टि में कोई वैधता नहीं रखता। यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि इस प्रकार के कथन किसी ऐसे किरायेदार द्वारा नहीं उठाए जा सकते, जो एक बाहरी व्यक्ति हो और जो वादी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी हित का दावा नहीं कर रहा हो; विशेष रूप से तब, जब इस आशय का कोई कथन लिखित कथन में किया ही नहीं गया था तथा द्वितीय अपीलीय चरण में लिखित कथन में संशोधन हेतु अपीलकर्ताओं का प्रार्थना-पत्र भी निरस्त किया जा चुका है।

18.अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अगला तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि वादी, जो कि एक पंजीकृत लोक न्यास है, 1961 के अधिनियम की धारा 12 या धारा 20 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता और इस प्रकार वर्तमान वाद इस आधार पर अपोषणीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. स्वीकृति रूप से, वादी एक पंजीकृत लोक न्यास है, जिसका पंजीकरण छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत हुआ है तथा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) द्वारा प्रकाशित दिनांक 07-09-1989 की अधिसूचना के कारण अधिनियम, 1961 के प्रावधान लोक न्यास पर लागू नहीं होते। तथापि, वर्तमान प्रकरण में वादी ने वादपत्र के पैरा-10 में यह कथन किया है कि वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत भी प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादियों को दिनांक 01-06-1996 का परित्याग/अवकाश नोटिस (प्रदर्श.-पी/5) तामील कराया गया, जिसके द्वारा 15 दिन की अवधि पश्चात् समाप्त होने वाले आगामी माह के अंत अर्थात् 30 जून, 1996 को

किरायेदारी समाप्त कर दी गई। वादपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अन्य तिथियों के अतिरिक्त, वर्तमान वाद प्रस्तुत करने का कारण-ये -दावा दिनांक 01-07-1996 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादियों ने परिसर खाली नहीं किया। परित्याग नोटिस की डाक रसीद तथा प्राप्ति की स्वीकृति प्रतिवादियों को तामील किए गए नोटिस, प्रदर्श–पी /6 से प्रदर्श–पी/11 के माध्यम से सिद्ध किए जा चुके हैं। विचारण न्यायालय द्वारा परित्याग/अवकाश नोटिस की वैधता अथवा अवैधता के संबंध में कोई विवाधक विरचित नहीं किया गया था तथा अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने एकमत रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि परित्याग नोटिस की तामील हो चुकी थी और उसके पश्चात् वाद प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार वर्तमान वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत नोटिस की तामील के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है और विचारणीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20.अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने यह भी पाया है कि वादी ने अपनी वास्तविक आवश्यकता सिद्ध कर दी है तथा भूस्वामी एवं किरायेदार के संबंध के अस्तित्व के बावजूद, प्रतिवादियों ने जुलाई, 1996 से वादी को किराया अदा नहीं किया है। परिणामस्वरूप, अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने बेदखली का वाद डिक्री किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील में, इस न्यायालय को साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों से भिन्न निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

21. उपर्युक्त विवेचन के आलोक में, वादग्रस्त दुकान पर वादी के स्वत्व तथा वाद की पोषणीयता के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क निराधार हैं, क्योंकि अपीलकर्ता निरस्तीकरण विलेख (प्रदर्श–डी/3) की वैधता को चुनौती देने के अधिकारी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, चूँकि वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत भी प्रस्तुत किया गया था, अतः इस न्यायालय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम एन. एस. गोयल के प्रकरण में प्रतिपादित विधि के अर्थ एवं मापदंडों के अंतर्गत कोई भी महत्वपूर्ण विधि प्रश्न दृष्टिगोचर नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त द्वितीय अपीलें असफल रहती हैं और इन्हें एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

हस्ताक्षर/-

(प्रशांत कुमार मिश्रा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Ms Mamta Gupta Adv